

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 208/2025

जीसीएमएस नं. 2025/402

प्रार्थी/निगरानीकार:-

लालू खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान, निवासी गांव सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अप्रार्थी/गैर निगरानीकार:-

1. ग्राम पंचायत सतलाना जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
2. युसुप खां पुत्र बाबु खां जाति मुसलमान निवासी सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध भूमि पट्टा सं. 49, दिनांक 10.10.2019, मिसल सं. 255/2019-2020 जो ग्राम पंचायत सतलाना द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं. 209/2025

जीसीएमएस नं. 2025/404

प्रार्थी/निगरानीकार:-

लालू खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान, निवासी गांव सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अप्रार्थी/गैर निगरानीकार:-

1. ग्राम पंचायत सतलाना जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
2. बाबु खां पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।



पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध भूमि पट्टा सं. 48, दिनांक 10.10.2019, मिसल सं. 254/2019-2020 जो ग्राम पंचायत सतलाना द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं. 210/2025

जीसीएमएस नं. 2025/403

प्रार्थी/निगरानीकार:-

लालू खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान, निवासी गांव सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अप्रार्थी/गैर निगरानीकार:-

1. ग्राम पंचायत सतलाना जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
2. सलीम खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरुद्ध भूमि पट्टा सं. 11, दिनांक 10.10.2019, मिसल सं.
256/2019-2020 जो ग्राम पंचायत सतलाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति:-

1. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह तापू (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी (अप्रार्थीगण सं. 02 की ओर से)

निर्णय

दिनांक 29.12.2025

1. उक्त तीनों निगरानियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत सतलाना द्वारा दिनांक 10.10.2019 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत प्रपत्र 23क में ग्राम सतलाना की आबादी भूमि पर जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 04.06.225 को पेश की गई है, जिसमें समान तथ्य, समान विषय वस्तु, समान विधिक प्रश्न अंतर्वलित होने से, तीनों को एक साथ समान निर्णय से उभयपक्षों की सहमति से निस्तारित किया जा रहा है, ताकि तीनों में निर्णय की समानता रहे तथा अलग-अलग निर्णित करने से विरोधाभासी निर्णयों की संभावना को खत्म किया जा सके।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सलीम खां, बाबू खां व युसुफ खां की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी, श्री जेठाराम, श्री दिलीप भारूपाल व श्री मुकेश अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया तथा ग्राम पंचायत की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत सतलाना से पट्टो से संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रत्येक प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

- i) निगरानी सं. 208/2025 (2025/402)-लालू खां बनाम ग्राम पंचायत सतलाना व युसुफ खां:-यह निगरानी मिसल सं. 255/2019-20 में जारी पट्टा सं. 49 दिनांक 10.10.2019, संकल्प सं. 02 दिनांक 05.09.2019 बनाप 300 वर्गगज को अपास्त करने हेतु पेश की गई है।
- ii) निगरानी सं. 209/2025 (2025/404)-लालू खां बनाम ग्राम पंचायत सतलाना व बाबू खां:-यह निगरानी मिसल सं. 254/2019-20 में जारी पट्टा सं. 48 दिनांक 10.10.2019, संकल्प सं. 02 दिनांक 05.09.2019 बनाप 295.16 वर्गगज को अपास्त करने हेतु पेश की गई है।


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

iii) निगरानी सं. 210/2025 (2025/403)–लालू खां बनाम ग्राम पंचायत सतलाना व

सलीम खां:—यह निगरानी मिसल सं. 256/2019–20 में जारी पट्टा सं. 11 दिनांक 10.10.2019, संकल्प सं. 02 दिनांक 05.09.2019 बनाप 2700 वर्गफीट को अपास्त करने हेतु पेश की गई है।

iv) उक्त तीनों निगरानियों में अभिवचन लगभग एक समान है, जिसके अनुसार आक्षेपित पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 (जिन्हे आगे संक्षेप में 1996 के नियम कहकर संबोधित किया गया है) के नियमों की अवहेलना करके, सरपंच ने स्वयं के लाभ के लिए जारी किये हैं। 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टे निलामी के बिना, निलामी की सूचना अखबार में प्रकाशित किये बिना, विहित विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जारी किये गये हैं। पट्टे जारी करने से पहले मौका जांच कमेटी का गठन नहीं किया गया है, मौके पर नाप चौक नहीं किया है। अप्रार्थी 2 का कथन है कि दिनांक 12.06.1958 को हरका पुत्र पन्नाजी के नाम 2184 वर्गगज का पट्टा बना हुआ है। जावंताराम, मांगीलाल वगैरा ने हरका से खरीदा तथा जावताराम वगैरा से बाबू खां ने खरीदा है, जबकि एक परिवार को 300 वर्गगज से ज्यादा भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता। एक ही दिन में एक ही परिवार को तीन पट्टे 300–300–300 वर्गगज के नियमों के विपरीत जारी किये हैं। यह पूरी प्रक्रिया मिलीभगत से की गई है। ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाई गई है, न ही ग्रामवासियों से आपत्ति ली गई है, जिसके कारण ग्रामवासी आपत्तियां पेश नहीं कर सके। सरपंच ने अपने चहेते लोगों को लाभ देने के लिए एक ही दिन में एक ही परिवार को तीन पट्टे जारी किये हैं, जो विधि विरुद्ध है। जिस पट्टे की भूमि खरीदनी बताई है, उसका ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड ही नहीं है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि की खरीद व बेचान करने की प्रक्रिया नियमों के विपरीत है। कमेटी नहीं बनाई गई। पुराने पट्टों/दस्तावेजों की प्रतियां पेश ही नहीं की गई हैं, न ही अप्रार्थीगण के पास किसी प्रकार का पंजीबद्ध लेख पत्र है।



अतः नियमों विपरीत जारी तीनों पट्टे निरस्त किये जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस निगरानियों पर सुनी गई।
5. निगरानीकार प्रार्थी लालू खां के विद्वान अधिवक्ता श्री भंवरसिंह तापू ने निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण 2 ने मौके पर दीवार की चिनाई प्रारंभ करने पर विवाद हुआ। अप्रार्थी बाबू खां ने सिविल कोर्ट सं. 3,


जोधपुर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जोधपुर महानगर में 2024 में निर्माण कार्य अनुमति हेतु सिविल वाद दायर किया। माननीय कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं। उक्त दावे में बाबू खां ने दिनांक 20.12.1989 को आक्षेपित पट्टों की आबादी भूमि जावताराम, मांगीलाल पुत्र बुधाराम जटिया से खरीदना बताया है। जावताराम वगैरा द्वारा हरका पुत्र पन्ना, घेवरराम, दुर्गा, भवरिया पुत्र हरकाजी जाति मोची से खरीदना बताया है। दिनांक 12.06.1958 को पट्टा सं. 2 मिसल सं. 2 से पट्टा जारी होना बताया है, जो 2184 वर्गज का बताया है।

सिविल कोर्ट में वर्ष 2025 में एक और दावा पेश किया है, जिसमें जायदाद समान है तथा समान विवाद्यक है, जिसमें जायदाद को पुश्तैनी बताया है। लालू खां निगरानीकार की ओर से बहैसियत प्रतिवादी, एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट में पेश किया है, जो अभी लंबित है। उक्त निगरानियों से आक्षेपित किये गये तीनों पट्टे ग्राम पंचायत, सतलाना से सन् 2019 में बाप-बेटों ने प्राप्त कर लिये हैं, जो गलत है, क्योंकि आक्षेपित भूमि पुश्तैनी नहीं है तथा न ही 50 वर्षों से अधिक का पुराना कब्जा है। पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया है। मौके की जांच नहीं की, मौका की नाप चौक की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है तथा न ही सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। अतः निगरानियां स्वीकार की जाकर, आक्षेपित पट्टे व पारित सकल्पों को अपास्त किया जावे।



6. अप्रार्थीगण सर्व श्री बाबू खां, युसुफ खां व सलीम की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि पट्टाधारियों ने पुराने कब्जों का नियमितीकरण के जरिये पट्टे प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत सतलाना में दिनांक 05.07.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किये हैं। ग्राम पंचायत ने निर्धारित प्रक्रिया/नियम के तहत प्रार्थना पत्र दर्ज कर, वार्ड पंचों की एक कमेटी मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने हेतु गठित की। दिनांक 22.07.2019 को मौका रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद सार्वजनिक आपत्तियां पेश करने का नोटिस जारी किया गया, मौजीज व्यक्तियों के बयान लिये गये तथा नियमानुसार संपूर्ण कार्यवाही करने के बाद निर्धारित राशि वसूल करके पट्टे जारी किये गये हैं, जिसका पूरा विवरण ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में दर्ज है। नियमों में विहित पूरी प्रक्रिया का विधिवत पालना करते हुए तथा पुराना कब्जा मानते हुए 1996 के नियम 157(1) के तहत आक्षेपित पट्टे जारी किये हैं, जो सही है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त के अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता ने कानूनी आक्षेप करते हुए कथन किया कि यह निगरानी धारा 97 के तहत पोषणीय ही नहीं है। 1994 के अधिनियम की धारा 61 के तहत वैकल्पिक उपचार अपील के रूप में प्रार्थी को उपलब्ध है, जिसके अनुसार 1996 के नियम 166, 154, 160, 156, 157, 157, 159 के तहत जारी पट्टों की अपील पंचायत समिति को की जानी चाहिए परंतु अपील पेश नहीं करके, यह रिवीजने पेश की है, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे, क्योंकि ये निगरानीयां नियम 157(1) के तहत जारी पट्टों को अपास्त करने हेतु पेश की गई है। अतः निगरानिया खारिज की जावे। पट्टे यथावत रखे जावे।

7. अप्रार्थी गण सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता की उक्तानुसार बहस का खण्डन करते हुए, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने रिबटल बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण स्वयं द्वारा दायर सिविल वादों के बारे में, अप्रार्थीगण ने कोई कथन/तर्क पेश ही नहीं किया है। अवैध पट्टों की आड में आबादी भूमि पर अप्रार्थीगण 2 कब्जा करना चाहते हैं। उक्त कथन के प्रत्युत्तर में अप्रार्थी 2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा कि सिविल न्यायालय में लंबित प्रकरण हस्तगत निगरानियों के मामले से अलग है, जिसमें सिर्फ बाउण्डरी वाल के निर्माण को लेकर, अवैध कब्जे को हटाने बाबत वाद दायर किया गया है। अतः निगरानियां अस्वीकार की जावे।
8. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों, ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसलों में उपलब्ध अभिलेख, ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर व पट्टा बुक का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों/तर्कों पर गहनता से मनन किया।
9. ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसलों का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड की स्थिति इस प्रकार पाई गई:-

- a. अप्रार्थीगण 2 ने दिनांक 05.07.2019 को पट्टा विलेख हासिल करने हेतु एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सतलाना में सरपंच पेश किया है। आवेदन पत्र में सिर्फ वर्षों से पुराने कब्जों सहित मकान होना बताया है, आवेदन पत्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल व पडौस अंकित ही नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 को पूर्व में ही छपे प्रपत्र में तैयार की गई है, जिसके संलग्न नक्शा में 300/295.16 वर्गगज भूमि का नाप व पडौस अंकित है, परंतु इस नक्शे पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर प्रार्थीगण युसुफ खां, सलीम, बाबू खां, सरपंच के हस्ताक्षर है तथा भूखण्ड के पडौस भी अंकित है। इस रिपोर्ट में मौके पर



SM
अपर जिला कलेक्टर (प्रबन्ध)
जोधपुर

300/295.16 वर्गगज की भूमि पर किस प्रकार का पुराना निर्माण पाया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है तथा न ही पचास वर्षों से अधिक पुराना कब्जा होने का कोई उल्लेख है तथा न ही सबूत है। पत्रावली में सलीम खां, बाबू खां व युसुफ खां तथा केवल रामाराम के गवाह के रूप में छपे छपाये प्ररूप में बयान दर्ज है, जिसको ग्राम पंचायत के सरपंच ने प्रमाणित भी नहीं किया है।

b. आदेशिका दिनांक 05.08.2019 में नियम 148 के प्ररूप 22 में एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी करने का तथा दिनांक 05.09.2019 को उक्त नोटिस के फलस्वरूप किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नहीं होने का उल्लेख है, परंतु मिसल में नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में जारी किये गये नोटिसेज की प्रति उपलब्ध ही नहीं है तथा न ही आदेशिका में उल्लेख है कि प्ररूप 22 का नोटिस किस तारीख को, किन-किन स्थानीय मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में किनके द्वारा आक्षेपित पट्टे की भूमि पर सदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया है।

c. ग्राम पंचायत की किसी भी तारीख की आदेशिका में भूखण्डों का क्षेत्रफल अंकित नहीं है। दिनांक 10.10.2019 को पट्टा जारी करने के आदेश में भी क्षेत्रफल का कॉलम खाली है तथा इस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है।

d. इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सतलाना के बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.07.2019 तक का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव दिनांक 05.07.2019 की बैठक में 1996 के नियम 145(3) के तहत मौका निरीक्षण व नक्शे तैयार करने हेतु कमेटी का गठन करने का उल्लेख प्रस्ताव सं. 1 में जरूर है। इस बैठक कार्यवाही के अंत में सरपंच व ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर ही नहीं है सिर्फ मिसल सं. 1 से 209 कायम की जावे, का अंकन है, जो नियम विरुद्ध है।



दिनांक 22.07.2019 को तीन सदस्यों की कमेटी गठित की है। दिनांक 05.08.2019 को नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्णय लेने का उल्लेख है परंतु कार्यवाही विवरण, सरपंच व सचिव से प्रमाणित नहीं है।

e. दिनांक 05.09.2019 को मिसल सं. 1 से 209 तक के सभी प्रकरणों में 40 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुए नियम 157(1) के तहत पट्टे जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह कार्यवाही विवरण भी सरपंच व सचिव से नियमानुसार प्रमाणित नहीं है, जिसका कोई आधार पत्रावलियों पर नहीं है।


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

- f. इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठकों का कार्यवाही विवरण सभी 209 मिसलों के लिए एक समान है, जिसमें प्रार्थीगणों के नाम तक नहीं है तथा न ही प्लॉट का क्षेत्रफल अंकित है तथा न ही 50 वर्षों के पुराने भवन निर्माण का विस्तृत विवरण अंकित है। कार्यवाही विवरण भी नियमानुसार प्रमाणित नहीं है।
- g. आक्षेपित पट्टे दिनांक 10.10.2019 को जारी किये गये हैं। पट्टों का नियमन शुल्क 200/- रुपये किस तारीख को किस रसीद सं. से वसूल किया है, उसका भी कोई विवरण पट्टे में उल्लेखित नहीं है परंतु मिसल सं. 254 की आदेशिका दिनांक 10.10.2019 में रसीद सं. 72 से शुल्क जमा होना बताकर, पट्टा नंबर 50 जारी करना बताया है तथा इसमें भूमि के नाप का कॉलम रिक्त है, जबकि पट्टा बुक अनुसार, मिसल सं. 254 में पट्टा सं. 48 जारी किया गया है। इसी प्रकार मिसल सं. 255 की आदेशिका दिनांक 10.10.2019 में रसीद सं. 73 से पट्टा सं. 9 नाप रिक्त कॉलम जारी करना बताया है जबकि पट्टा बुक अनुसार इस मिसल में पट्टा सं. 49 जारी किया गया है। इसी प्रकार मिसल सं. 256 की आदेशिका दिनांक 10.10.2019 में रसीद सं. 74 से पट्टा सं. 10 नाप रिक्त जारी करना बताया है, जबकि पट्टा बुक अनुसार इस मिसल में पट्टा सं. 11 जारी किया गया है। उक्त तीनों मिसलों की आदेशिका दिनांक 10.10.2019 पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है। इस प्रकार जारी किये गये पट्टों में शुल्क राशि जमा होने की पुष्टि नहीं होती है।
- h. नियमानुसार पट्टा बुक पंचायत समिति से विकास अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी होती है तथा प्रत्येक पट्टे पर पट्टा बुक संख्या अंकित होती है, परंतु आक्षेपित पट्टों पर बुक संख्या अंकित ही नहीं है तथा विकास अधिकारी द्वारा जारी नहीं की गई है, जो गलत है।
- i. उपर्युक्त तथ्यात्मक अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त तीनों पट्टे 1996 के नियम 157 के प्रावधानों के तहत विनियमितीकरण के रूप में ग्राम पंचायत ने दिनांक 10.10.2019 को जारी किये हैं। नियम 157 के तहत सिर्फ पुराने निर्मित भवनों/मकान की आबादी भूमि का ही नियमन 100/200 रुपये वसूल करके किया जा सकता है। पूर्व में 1996 के नियम 157(1)(i)(ख) में "इन नियमों के प्रारंभ की तारीख दिनांक 31.12.1996 से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" निर्मित आवासीय भवनों की भूमि का विनियमितीकरण किया जा सकता था।



SM
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) की अधिसूचना क्रमांक-एफ-4(7)अमे./रूल्स/लीगल/पी.आर./2017/447 दिनांक 17.05.17 (राजस्थान राजपत्र भाग-4 (ग) उपखण्ड (I) में दिनांक 17.05.2017 को साधिकार प्रकाशित) से उक्त "....." प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया है:-

"31 दिसंबर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान"

इस प्रकार दिनांक 17.05.2017 के पश्चात् दिनांक 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान निर्मित भवन का निर्माण किया जा सकता है।

- j. हस्तगत प्रकरणों में आवेदन दिनांक 05.07.2019 को पेश किये गये हैं तथा नियमन दिनांक 10.10.2019 को किया गया है। अतः दिनांक 20.12.1989 को ही खरीदने के कारण 50 वर्षों की अवधि पूरी नहीं होने का आक्षेप इस प्रकरण में लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें 200 रुपये की राशि लेकर नियमन किया गया है, जो दिनांक 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों की अवधि के भीतर आता है परंतु हस्तगत प्रकरणों में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद ही नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि 300 वर्गगज की भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 2 का निर्मित गृह के रूप में कब्जा है। नियम 157 के तहत रिक्त भूखण्डों का नियमन नहीं किया जा सकता। आवेदक स्वयं ने भी आवेदन पत्रों में न तो निर्मित भवन के रूप में कब्जे की भूमि का क्षेत्रफल अंकन किया है तथा न ही नियमन चाही गई भूमि के पडौसों का उल्लेख आवेदन पत्र में किया है। इसी प्रकार मौका निरीक्षण कमेटी ने भी निर्मित भवन के क्षेत्रफल का कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है। दिनांक 10.10.2019 की आदेशिका में भी भूखण्ड का क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। मिसल में उपलब्ध नक्शा भी मौका निरीक्षण कमेटी से प्रमाणित नहीं है। पुराने कब्जे के समर्थन में सिर्फ आवेदन स्वयं का व रामाराम का शपथ पत्र है, जो प्रमाणित भी नहीं है। पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में आक्षेपित पट्टा के आवेदकों के नाम भी अंकित नहीं है तथा न ही इस न्यायालय में उक्त सबूत पेश किया है।

- k. इसी प्रकार 1996 के नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां पेश करने हेतु प्रपत्र 22 में जारी नोटिस भी मिसल में उपलब्ध नहीं है तथा न ही ऐसा नोटिस अमुख तारीख को, अमुक व्यक्ति द्वारा, अमुक दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा होने का मिसलों की आदेशिका में उल्लेख है। जिसके अभाव




जोधपुर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा आक्षेपित व्यक्तियों द्वारा आक्षेपित भूमि के पट्टे जारी करने बाबत आपत्तियां पेश नहीं की जा सकी, जो कि एक आज्ञात्मक प्रावधान है।

1. अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से यह आक्षेप किया है कि निगरानीकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के तहत वैकल्पिक रूप से अपील पेश करने का प्रावधान उपलब्ध है, यह निगरानियां धारा 97 के तहत पोषणीय नहीं है। उक्त आक्षेप के संबंध में इस न्यायालय का यह मत है कि धारा 97 के प्रावधान बहुत व्यापक है, जिसके तहत कोई भी स्थानीय नागरिक, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के लिए निगरानी पेश कर सकता है तथा राज्य सरकार स्वप्रेरणा से भी, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पारित निर्णयों, संकल्पों इत्यादि की सत्यता, वैधानिकता, औचित्यता इत्यादि का परीक्षण करने हेतु सक्षम है।

धारा 61 के तहत कोई भी व्यथित व्यक्ति (Aggrieved person) पंचायत समिति में अपील पेश कर सकता है, परंतु धारा 97 के तहत कोई भी हितबद्ध व्यक्ति (Person interested) निगरानी पेश कर सकता है। अतः उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण दो का आक्षेप स्वीकार्य नहीं है तथा निगरानीकर्ता एक हितबद्ध व्यक्ति है।

- m. प्रार्थी ने सिविल कोर्ट में प्रकरण लंबित होने का जिक्र किया है परंतु इस बाबत माननीय सिविल कोर्ट द्वारा आक्षेपित भूमि में अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड के संबंध में पारित व जारी घोषणात्मक डिक्री की कोई प्रमाणित प्रति प्रारि समक्ष पेश नहीं की है। अतः मात्र स्थाई निषेधाज्ञा, कब्जा प्राप्त करने व आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन होने का कथन बिना सबूत के करने मात्र से निगरानी की कार्यवाही को लंबित/खारिज करना विधि सम्मत नहीं होगा।

- n. इसी प्रकार विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थावर संपत्ति का हस्तांतरण सिर्फ पंजीकृत दानपत्र/बेचान दस्तावेजों के माध्यम से ही हो सकता है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश ही नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने आक्षेपित पट्टों की भूमि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी किये गये पट्टाधारी व्यक्तियों से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से नियमानुसार क्रय की है। मुख्यारनामा, बेचान इकरारनामा से स्थावर संपत्ति में किसी प्रकार का




अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हक, हकूक, स्वत्व, अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से अपने पक्ष में आक्षेपित भूमि की डिक्री भी पेश नहीं की है। अगर एक क्षण के लिए बहस के रूप में, यह मान भी लिया जावे कि अप्रार्थीगण 2 ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि ही खरीदी है, तो भी ग्राम पंचायत दुबारा उसी भूमि का पट्टा जारी नहीं कर सकती। हालांकि ऐसा कोई अभिलेख इस न्यायालय में अप्रार्थीगण सं. 2 द्वारा पेश ही नहीं किया है तथा न ही उन्होने ऐसा कोई आधार लिया है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार व विश्लेषणानुसार आक्षेपित पट्टे जारी करने में ग्राम पंचायत ने 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया का पालना नहीं किया है तथा जारी किये गये पट्टे व उससे संबंधित पारित संकल्प विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है तथा प्रस्तुत तीनों निगरानियां स्वीकार योग्य है।

आदेश

11. फलतः उक्त समग्र निष्कर्षानुसार, हस्तगत तीनों निगरानियां स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा

A. निगरानी सं. 208/2025 (2025/402)—लालू खां बनाम ग्राम पंचायत सतलाना व युसुप खां— स्वीकार की जाती है तथा मिसल सं. 255/2019-20 में जारी पट्टा सं. 49 दिनांक 10.10.2019, इस पट्टे की सीमा तक संकल्प सं. 02 दिनांक 05.09.2019 बनाप 300 वर्गगज बहक युसुप खां को खारिज किया जाता है।

निगरानी सं. 209/2025 (2025/404)—लालू खां बनाम ग्राम पंचायत सतलाना व बाबू खां— स्वीकार की जाती है तथा मिसल सं. 254/2019-20 में जारी पट्टा सं. 48 दिनांक 10.10.2019, इस पट्टे की सीमा तक संकल्प सं. 02 दिनांक 05.09.2019 बनाप 295.16 वर्गगज बहक बाबू खां को खारिज किया जाता है।

C. निगरानी सं. 210/2025 (2025/403)—लालू खां बनाम ग्राम पंचायत सतलाना व सलीम खां— स्वीकार की जाती है तथा मिसल सं. 256/2019-20 में जारी पट्टा सं. 11 दिनांक 10.10.2019, इस पट्टे की सीमा तक संकल्प सं. 02 दिनांक 05.09.2019 बनाप 2700 वर्गफीट बहक सलीम खां को खारिज किया जाता है।

12. अप्रार्थीगण सं. 2 नए सिरे से आक्षेपित भूमि पर ग्राम पंचायत सतलाना से पट्टे प्राप्त करने हेतु आवेदन नियमानुसार पेश करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसा आवेदन पेश होने पर, ग्राम पंचायत प्रचलित नियमों की अक्षरतः पालना करते हुए अपने स्तर से उन पर विधि सम्मत निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है।



अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जौधपुर

पंचायत निगरानी सं. 208/2025 (2025/402)
209/2025 (2025/404)
210/2025 (2025/403)

13. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत सतलाना को अविलंब लौटाया जावे।
14. प्रकरणों में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्वारा निस्तारित किये जाते हैं।
15. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर